

## पुलिस महानदेशकों का अखलि भारतीय सम्मेलन

### प्रलमिस के लयि:

पुलसि महानदेशकों का 58वाँ अखलि भारतीय सम्मेलन, पुलसि महानदेशक (DGP), पुलसि महानरीकषक (IGP), आपराधकि कानून

### मेन्स के लयि:

महानदेशकों का अखलि भारतीय सम्मेलन

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जयपुर, राजस्थान में **पुलसि महानदेशक/महानरीकषकों के 58वें अखलि भारतीय सम्मेलन** में भाग लिया।

- यह तीन दविसीय कार्यक्रम था जसि हाइब्रडि मोड में **पुलसि महानदेशक (DGP), पुलसि महानरीकषक (IGP)** तथा केंद्रीय पुलसि संगठनों के प्रमुखों के साथ आयोजति कयिा गया था।
- आयोजति सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलसि व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-रोधी चुनौतियॉ, वामपंथी उग्रवाद तथा जेल सुधार एवं आंतरकि सुरक्षा मुद्दों पर वसितार से वचिार-वमिर्श कयिा गया।
- सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए **आपराधकि कानूनों** के कार्यान्वयन के लयि रोड मैप पर वचिार-वमिर्श है।

## प्रधानमंत्री के संबोधन से संबंधति मुख्य बातें क्या हैं?

- **आपराधकि न्याय में आदर्श बदलाव:**
  - प्रधानमंत्री ने नए आपराधकि कानूनों के अधनियमन दवारा लाए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन पर प्रकाश डाला तथा **नागरकि गरमिा**, अधिकारों एवं न्याय पर ध्यान केंद्रति करने वाली **न्याय प्रणाली को प्राथमकिता** देते हुए दंडात्मक उपायों के स्थान पर डेटा-संचालति दृष्टकिोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दयिा।
  - उन्होंने नए कानूनों के तहत **महलिाओं तथा लडकियों को** उनके अधिकारों के बारे में **जागरूक करने** के महत्त्व पर प्रकाश डाला और पुलसि से उनकी सुरक्षा एवं कभी भी, कहीं भी नडिर होकर कार्य करने की स्वतंत्रता सुनिश्चति करने का आग्रह कयिा।
- **पुलसि की सकारात्मक छवि:**
  - उन्होंने **सकारात्मक जानकारी** तथा संदेशों के प्रसार के लयि ज़मीनी स्तर पर सोशल मीडयिा के उपयोग का सुझाव देते हुए नागरकिों के बीच **पुलसि के प्रतिसकारात्मक धारणा को बढ़ाने की आवश्यकता** पर बल दयिा।
  - इसके अतरिकित आपदा चेतावनी तथा राहत प्रयासों के लयि सोशल मीडयिा का उपयोग करने का सुझाव दयिा गया।
- **नागरकि-पुलसि संबंध:**
  - उन्होंने नागरकिों तथा पुलसि बल के बीच **संबंधों को सशक्त करने** के लयि **खेल आयोजनों के आयोजन का समर्थन** कयिा।
  - उन्होंने सरकारी अधिकारियों को स्थानीय लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापति करने के लयि सीमावर्ती ग्रामों में रहने के लयि भी प्रोत्साहति कयिा।
- **पुलसि बल में परिवर्तन:**
  - भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय पुलसि से वर्ष 2047 तकदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ एक अत्याधुनकि, वशि्व स्तरीय बल के रूप में विकसति होने के लयि प्रोत्साहति कयिा।

## पुलसि बलों से सम्बंधति मुद्दे क्या हैं?

- **हरिसत में होने वाली मृत्यु:**
  - हरिसत/अभरिक्षा में होने वाली मृत्यु का आशय **पुलसि** अथवा अन्य वधिप्रवर्तन अभकिरणों की हरिसत में हुई कसिी व्यक्त्किी

मृत्यु से है।

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB)** के अनुसार नरितर तीन वर्षों में हरिसत में होने वाली मृत्यु की संख्या वर्ष 2017-18 में 146 से घटकर वर्ष 2020-21 में 100 हो गई जबकि वर्ष 2021-22 में इसकी संख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई तथा यह 175 हो गई।

#### ■ बल का अत्यधिक प्रयोग:

- पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की घटनाएँ सामने आई हैं, जिससे चोटें आईं और मौतें हुईं।
- उचित प्रशिक्षण और नरिीकषण का अभाव कुछ मामलों में बल के दुरुपयोग में योगदान देता है।
  - एक पुलिस अधिकारी एक लोक सेवक है और इसलिये उससे अपने नागरिकों के साथ वैध तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है।

#### ■ भ्रष्टाचार:

- रशिवतखोरी और अन्य प्रकार के कदाचार सहित पुलिस बल के भीतर भ्रष्टाचार, जनता के वशिवस को कमजोर करता है।
- उच्च-रैकगि के पुलिस अधिकारियों को कभी-कभी भ्रष्ट आचरण में लपित होने के रूप में उजागर किया गया है और नचिली-रैकगि के पुलिस अधिकारियों को रशिवत लेने के रूप में भी उजागर किया गया है।
- **उदाहरणार्थ: नषिध कानून प्रवर्तन।**
  - ये कानून शराब जैसे प्रतबिंधित पदार्थों की मांग को बढ़ाकर **पुलिस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।**
  - बढ़ी हुई लाभप्रदता और कानून प्रवर्तन वविक का संयोजन **अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के लिये प्रेरति करता है।**

#### ■ वशिवस के मुद्दे:

- **पुलिस और समुदाय के बीच वशिवस की बहुत कमी है,** जिससे सहयोग तथा सूचना साझाकरण प्रभावित हो रहा है।
- पुलिस कदाचार के हार्ड-प्रोफाइल मामले जनता में संदेह और अवशिवस को बढ़ावा देते हैं।

#### ■ पुलिस द्वारा न्यायेतर हत्या:

- आत्मरक्षा के नाम पर पुलिस द्वारा न्यायेतर हत्याओं के कई मामले सामने आए हैं, जनिहें आमतौर पर 'मुठभेड़' के रूप में जाना जाता है।
- भारतीय कानून में ऐसा कोई रहस्यमय/अज्ञेय प्रावधान या कानून नहीं है जो **मुठभेड़ में की गई हत्या को वैध** बनाता हो। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वभिनिन नरिण्यों में नीतगित ज़्यादतियों/अतरिक के उपयोग को सीमति कर दिया था।
  - वर्ष 2020-2021 के दौरान **एनकाउंटर के नाम पर 82 लोगों की हत्या** की गई जो वर्ष **2021-2022 के दौरान बढ़कर 151** हो गई।

## पुलिस सुधार के लिये क्या सफिरशैं हैं?

#### ■ पुलिस शकियात प्राधकिरण:

- **प्रकाश सहि बनाम भारत संघ, 2006** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने भारत के सभी राज्यों में पुलिस शकियात प्राधकिरण स्थापति करने का नरिदेश दिया।
  - पुलिस शकियात प्राधकिरण **पुलिस अधीकषक से उच्च, नीचले स्तर के पुलिस द्वारा** किसी भी प्रकार के कदाचार से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिये अधकित है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिसिगि/पुलिसि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये जाँच एवं कानून व्यवस्था कार्यों को अलग करने, **राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission- SSC) की स्थापना** करने का भी नरिदेश दिया, जिसमें नागरिक समाज के सदस्य होंगे और एक **राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग** का गठन किया जाएगा।

#### ■ राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सफिरशैं:

- भारत में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (वर्ष 1977-1981) ने **कार्यात्मक स्वायत्तता और जवाबदेही की आवश्यकता** पर बल देते हुए पुलिस सुधारों के लिये सफिरशैं कीं।

#### ■ श्री रबिरो समति:

- पुलिस सुधारों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और आयोग की सफिरशैं को लागू करने के तरीके सुझाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश पर वर्ष 1998 में श्री रबिरो समति का गठन किया गया था।
- रबिरो समति ने कुछ संशोधनों के साथ राष्ट्रीय पुलिस आयोग (वर्ष 1978-82) की प्रमुख सफिरशैं का समर्थन किया।

#### ■ आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर मलमिथ समति:

- आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर वर्ष 2000 में वी.एस. की अधयक्षता में **मलमिथ समति** की स्थापना की गई। मलमिथ ने एक **केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी की स्थापना** सहित 158 सफिरशैं कीं।

#### ■ मॉडल पुलिस अधनियिम:

- **मॉडल पुलिस अधनियिम, 2006** के अनुसार, प्रत्येक राज्य को सेवानवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नागरिक समाज के सदस्यों, सेवानवृत्त पुलिस अधिकारियों एवं दूसरे राज्य के सार्वजनिक प्रशासकों से बना एक प्राधकिरण स्थापति करना होगा।
  - इसने पुलिस एजेंसी की कार्यात्मक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रति किया, व्यावसायिकता को प्रोत्साहित किया और प्रदर्शन एवं आचरण दोनों के लिये जवाबदेही को सर्वोपरि बनाया।

